Reg. Need for effective legislation to curb misuse of artificial intelligence like deep-fake technology श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज):** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस सदन में आपने मुझे एक अत्यंत गम्भीर चिंता के विषय को इस सदन में उठाने का अवसर दिया है ।

महोदय, यह चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, यह सम्पूर्ण समाज के लिए है । आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ से जिस तरह से नकली वीडियो, चित्र या इस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं, वह देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है । समाज में इस तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित करके लोगों के बीच में किसी का चरित्र-हनन करके या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीजों को वायरल किया जा रहा है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग कर इस डीप फेक का प्रचार-प्रसार पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया है । अभी तक इस पर कोई विधायी कानून भी नहीं है । इस गम्भीर सवाल पर सरकार भी सोच रही है । यह पूरे देश में बढ़ रहा है ।

पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे रश्मिका मंधाना का मामला हो, चाहे आलिया भट्ट का मामला हो, चाहे वे फिल्म स्टार्स हों, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, हम लोग, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उनके लिए अगर कोई इस तकनीक का दुरुपयोग करके इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं तो यह उनके पूरे जीवन पर एक सवालिया निशान लगा देता है । इस डीप फेक का आज बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है और इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए भी खतरा है । इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है । पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है । इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर निश्चित तौर पर एक प्रभावी कार्रवाई हो और यदि आवश्यकता हो तो सरकार इस पर एक मजबूत लेजिस्लेशन बनाने का काम करे ।